अपील संख्याः 132/2017

1. श्रीमती विष्णु पुत्री रामस्वरूप पत्नी कमल पारीक, जाति पुरोहित, निवासी 68, खातियों का मोहल्ला, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति पुरोहित, निवासी 68, खातियों का मोहल्ला बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजू चौधरी पुत्र नन्दलाल चौधरी, जाति जाट, निवासी प्लाट नंबर 8, नन्दभवन नन्द कॉलोनी टोंक रोड, सांगोनेर, जयपुर।
3. विराट दीवान पुत्र विजय कुमार, जाति जैन, निवासी डी–71 ए/1, पारस मार्ग, सिवाड एरिया, बापू नगर, जयपुर।
4. श्रीमति बिरजू उर्फ कमली पत्नी शिवकुमार जाति परोहित निवासी 68, खातियों का मोहल्ला, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्रीमति मनफूली देवी पत्नी जगदीश जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम भमोरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी प्रकाश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी तलाब वाले बालाजी के पीछे, शिव कॉलोनी, बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. नारायण लाम्बा पुत्र बालचन्द लाम्बा जाति जाट निवासी ढाणी रामोला ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. विमला पुत्री नाथू पत्नि कैलाश जाति पुरोहित निवासी पुरानी बस्ती के पीछे, बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक सांगानेर, उपपंजीयक कार्यालय सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 223 आर0टी0एक्ट विरूद्व निर्णय तहसीलदार दिनांक 10.05.2017 उपतहसीलदार बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर जो उन्होंने उनके द्वारा निर्णित पत्रावली कमांक लो0अ0/17/04 विभाजन पत्र के अर्न्तगत पारित किया।

(प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ती अपील की "मैन्टेनेबिलीटी" पर)

निर्णय दिनांकः 05.10.2017

अपीलांट ने यह अपील उपतहसीलदार, बगरू के निर्णय दिनांक 10.05.2017 जिससे सहखातेदार रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 3 के मध्य पत्रावली कमांक लो0अ0/17/04 द्वारा विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये है, से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील दिनांक 07.06.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या–2 की ओर से श्री शिवसिंह चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पाडेन्ट संख्या–9, की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 एवं रेस्पाडेन्ट संख्या के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये

सत्य प्रतिलिपि

रीडर

मैन्टेनेबिलीटी प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 13.09.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई तथा पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियां की बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन तकासमा आदेश जो पारित किये गये है, वह न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट स्वामित्व रखता हो। विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रामस्वरूप पुरोहित पुत्र जगन्नाथ है और उसका वह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा इसी के आधार पर खातेदारान के मध्य बंटवारा स्वीकार किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित कुल किता 20 रकबा 7.53 है0 भूमि के रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 सहकाश्तकार होने से उनके बीच भूमि का विभाजन किया गया है। रेकार्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 3 की स्वतन्त्र सहमति के आधार पर विभाजन किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत आदेश है आपसी सहमति से किये गये विभाजन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं है। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दिनांक 01.07.2016 को पारित आदेश की कियान्वति को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा स्थगित कर दी गई थी जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर के आदेश निर्णय दिनांक 01.07.2016 प्रभावी नहीं रहते है। अपीलान्ट तकासमा में पक्षकार नहीं थी जिसको 96 सी.पी.सी. 1908 "लीव टू फाइल अपील" के अर्न्तगत प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है जो कि नहीं किया गया। अपीलान्ट प्रकरण में कानूनन पक्षकार नहीं है। विवादित भूमि ठा. किरत सिंह के जागीर भूमि थी, रेस्पाडेन्ट संख्या 1 रामस्वरूप व पांचू पुत्र बालजी माफीदार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खुदकाश्त भूमि थी। कानूनन जागीर पुर्नग्रहण पर माफीदार को मिले खातेदारी अधिकार पैतृक न होकर स्वयं अर्जित भूमि थी। अपीलान्ट रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की पुत्री है तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 अभी तक जीवित है व स्वयं अर्जित भूमि पर पुत्र व पुत्री को बर्थ राइटस नहीं है। इसलिए जो विधिक विभाजन सह–काश्तकारों के मध्य किया गया है विधिसम्मत है। इस सम्बन्ध में रेस्पाडेन्ट संख्या 2 अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत **RRT 2017(2)-944, RRD 1977 page 233, RRD 1977 page 95, RRT 2015(1) page 103, RRT 2010(1)-188, RRT 2011(1)-174, RRD 2000 page 264, RRT 2003(2) page 1027, RRT 2016(2) page 1309, RRD 1993 page 234** अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति "मैन्टेनेबिलीटी" स्वीकार कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर

(प्रथम)

विद्वान अधिवक्ता अपीलाट ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र/अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, बगरू द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम बगरू कलां स्थित आराजी खसरा नम्बर 3787 रकबा 3.74 हैक्टेयर, ख.न. 3788/8070 रकबा 0.26 है0, ख.न. 3849 रकबा 0.06 है0, ख.न. 3856 रकबा 0.35 है0, ख.न. 3857 रकबा 0.20 है0ख.न. 3858 रकबा 0.19 है0, ख.न. 3589 रकबा 0.22 है0, ख.न. 3860 रकबा 0.16 है0, ख.न. 3861 रकबा 0.24 है0, ख.न. 3862 रकबा 0.17 है0, ख.न. 3863 रकबा 0.31 है0, ख.न. 3864 रकबा 0.16 है0, ख.न. 3865 रकबा 0.03 है0, ख.न. 3866 रकबा 0.12 है0, ख.न. 3867 रकबा 0.18 है0, ख.न. 3868 रकबा 0.18 है0, ख.न. 3869 रकबा 0.19 है0, ख.न. 3870 रकबा 0.46 है0 ख.न. 3871 रकबा 0.15 है0, ख.न. 3872/8071 रकबा 0.16 है0, ख.न. 4836 रकबा 0.03 है0 कुल किता 21 रकबा 7.56 है0 के संबंध में अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष एक वाद घोषणा, एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखी है। जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 01.07.2016 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का बेचान न करने का व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने माननीय न्यायालय सहायक कल्क्टर जयपुर द्वितीय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में मियाद से बाहर अपील प्रस्तुत की जिसमें मियाद बाहर अपील को निर्णित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2016 की कियान्विति स्थगित की गयी। जिसके पश्चात रेस्पाडेन्ट संख्या 9 उपतहसीलदार बगरू द्वारा पक्षकारो की सहमति से अपीलाधीन तकासमा दिनांक 10.05.2017 को कर दिया गया। जबकि सहायक कल्क्टर जयपुर द्वितीय के अपीलान्ट द्वारा वाद अभी तक विचाराधीन है जिसकी जांच कराये बिना ही विभाजन का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दे दिया गया।पटवारी हल्का द्वारा भी तथ्यों को छुपाया गया है। माननीय कोर्ट के स्टे होने के बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रेस्पाडेन्टस द्वारा करवाया जा रहा है इसलिए रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति "मैन्टेनेबिलीटी" दिनांक 01.08.2017 खारिज फरमाया जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन विभाजन का आदेश न्यायोचित है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्ववान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त विभाजन पत्रावली के आधोपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही विद्ववान उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक नजीरों में प्रतिपादित सिद्वान्त पर गौर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वाद ग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 दर्ज रिकार्ड है। वकील रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पाडेन्ट संख्या एक की स्वयं अर्जित भूमि है जो उसे कानूनन जागीर पुर्नग्रहण पर माफीदार को मिले खातेदारी

सत्य प्रतिलिपि

रीडर

अधिकार से प्राप्त है। विवादित तकासमा में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 खातेदार काश्तकारन है जिनके द्वारा उपतहसीलदार बगरू के समक्ष आपसी सहमति से कृषि जोत का बंटवारा किया है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के जीवित रहते उनकी पुत्री अपीलांट का विवादित भूमि पर हक अधिकार नहीं बनता है। प्रस्तुत प्रकरण की विषय वस्तु एवं विवाद बिन्दु स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी है, जिनके सम्बन्ध में स्वयं अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम के रूप में वाद सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें ही अधिकारों का निर्धारण होना है। सहखातेदारों के मध्य आपकी सहमति से किये कृषि जोत के विभाजन को दीगर व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है।

फलस्वरूप रेस्पाडेन्ट संख्या 2 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति "मैन्टेनेबिलीटी" स्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू, तहसील सांगानेर का निर्णय दिनांक 10.05.2017 पत्रावली कमांक लो0अ0/17/04 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

5/10/17
(डॉ. मोहन लाल यादव)
अति.कलक्टर-प्रथम,
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट-प्रथम
जयपुर